प्रतिवेदन

परियोजना का नामः—जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र—यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग—123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 3359/111(2)/14—77(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26—05—2014 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग—123 से पॉलगांव तक 3.00 कि0मी0 हेतु 58.59 लाख की प्राप्त है। (शासनादेश संलग्न है)

उक्त मोटर मार्ग 2.50 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित होकर ग्राम पॉलगांव की 500 आबादी को यातायात की सुविधा प्रदान करेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र में नगदी फसलो को स्थानीय मंडियो तक पहुँचाने की सुविधा प्राप्त होगी। अतः क्षेत्र का सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक विकास होगा।

इस मार्ग के निर्माण में क्षेत्रीय जनता की अपनी नाप भूमि मार्ग निर्माण हेतु नि0ख0 लो0नि0वि0 बडकोट को देने की सहमति के आधार पर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त होने के कारण मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 7.00 मी0 चौडाई मे आरक्षित वनभूमि 0.245 है0,सिविल सोयम 0.035 है0, तथा कुल वनभूमि 0.280 है0 तथा नाप भूमि 1.470 है0 है। कटिंग के मलवे को डम्प करने हेतु डम्पिंग जोन हेतु भी ग्रामीणों द्वारा नाप भूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस मोटर मार्ग के समरेखण के प्रथम एवं अन्तिम निर्देशांक कमशः $78^0$13'56.04" E, $30^0$47'50.70"N एवं $78^0$13'55.17"E, $30^0$47'37.54"N हैं।

उन्नत कृषि भूमि के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है,परन्तु यातायात की सुविधा न होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने के कारण सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं अन्य रोजगार के साधन न होने बेरोजगार युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर स्थनीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगे वही सरकार की विकास योजनाएं सुगमता से संचालित हो सकेंगे ।

अतः परियोजना निर्माण हेतु 0.280 है0 वनभूमि का हस्तानान्तण प्रस्ताव गठित का स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट

11/5/16
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट